**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद**

**पीठासीन अधिकारीः—** बिन्दुबाला राजावत, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 160 / 2023

किस्म :— वाद—पत्र

दायर दिनांक : 08.11.2023

निर्णय दिनांक : 27.11.2025

## अनवान

1. देवीलाल पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. जसराज पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. नोसर उर्फ सोसर पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
4. गहरी पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. सुन्दर पुत्री चम्पालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. मीना पुत्री चम्पालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. बदामी पत्नि चम्पालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादीगण

## बनाम

1. बद्रीलाल पिता रतनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2 हंसराज पिता रतनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. मताबी पत्नि रतनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. कमला पुत्री रतनलाल पत्नि हीरालाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी कुण्डियातहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. नर्वदा पुत्री रतनलाल पत्नि बद्रीलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी बाघपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
6. पारस पुत्री रतनलाल पत्नि घीसूलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी पॉटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. मांगीदेवी पत्नि भैरूलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. सन्यादेवी पत्नि रामचन्द्र जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. मांगीदेवी पत्नि अम्बालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. प्रकाश पिता अम्बालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
11. मुकेश पिता अम्बालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
12. अर्जुन उर्फ भगवानलाल पिता गणेश जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
13. सीतादेवी पुत्री गणेश पत्नि देवीलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी रतनपुरा (रोडा का खेडा) ग्राम पंचायत सालेरा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

14. नोसर पत्नि गणेशलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
15. प्रेमबाई पुत्री जवाहरमल पत्नि राजमल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ
16. भीमराज पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझाबास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
17 मदनलाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
18. रामेश्वर लाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
19. हीरालाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
20. भैरूलाल पिता किशनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
21. ऐजीबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि किशनलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी उदलियास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
22. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर सेः— अधिवक्ता सुरेशचन्द्र जाट
प्रतिवादीगण की ओर सेः— अनुपस्थित

# निर्णय

वादीगण की और से जरिये अधिवक्ता वाद पत्र संक्षिप्त में प्रस्तुत किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 कमशः (क),(ख),(ग) राजस्व ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा में आराजी संख्या 227, 229, 232, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की भूमियां स्थित है, व वादपत्र के पैरा संख्या 02 में आराजी संख्या 227,228,229,230,231,232, जमाबंदी की प्रतिलिपियां पेश है। तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 03 में आराजी संख्या 228,230,231 चालु जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 06 एवं 10 से लगायत 21 के संयुक्त स्वामित्व की निम्न स्थित है, यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 एवं प्रतिवादी संख्या 21 का वंशवृक्ष का सजरा परिशिष्ट अ पर वर्णित है जो वादपत्र का अभिन्न अंग है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 से लगायत 03 में वर्णित भूमियां पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 06 एवं प्रतिवादी संख्या 21 के पूर्वज मोहन पिता उदा के नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज थी। प्रमाण में सम्वत् 2041 से 2044 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 से लगायत 03 में वर्णित आराजीयात् के खातेदार मोहन की मृत्यू पश्चात् विरासत के आधार पर भूमियां वादीगण संख्या 01 से लगायत 04 के पिता मांगीलाल एवं वादी संख्या 05 से लगायत 06 के पिता व 07 के पति चम्पालाल एवं वादीगण संख्या 01 से लगायत 06 की माता एवं 07 की सास एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 05, 06,की दादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 की सास चांदीबाई के नाम ग्राम गणेशपुरा के नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 31.12.1999 के जरिये

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। उक्त नामान्तरकरण के वक्त मोहन के पुत्र रतनलाल की मोहन से पूर्व ही मृत्यू हो जाने से रतनलाल के विधिक वारिसान् बद्री, हंसराज, एवं मेहताबी के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ था। जो कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 है। प्रमाण मे नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 31.12.1999 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। यह कि विरासत के आधार पर भूमियां जमाबंदियों में दर्ज होने के पश्चात् अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त वादीगण एवं प्रतिवादी अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे। दिनांक 20.02.2004 को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ने ग्राम गणेशपुरा की सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबंदी में खाता संख्या 36 की आराजी नम्बर 229 रकबा 09–01 बिघा व आराजी नम्बर 232 रकबा 8–02 बिधा कुल किता 02 कुल रकबा 17–03 बिधा में से अपना 1/4 हिस्सा बताते हुऐ 3–02 बिघा भूमि प्रतिवादी संख्या 09 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विक्रय कर दी एवं इसी दिनांक 20.02.2004 को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ने एक अन्य विकय पत्र ग्राम गणेशपुरा की सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबंदी के खाता संख्या 36 की आराजी नम्बर 227 रकबा 14–08 बिघा भूमि में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुऐ अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को एवं आराजी संख्या 229 रकबा 09–01 बिघा भूमि में से 1–05 बिघा भूमि प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के विक्रय कर दी। यह कि दिनांक 20.02.2004 को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 के पक्ष में निष्पादित दोनो विक्रय पत्र अवैध तरिके से वादीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 एवं 07 से लगायत0 9 ने आपस में मिलीभगत कर निष्पादित किये गये है जो प्रारम्भतः ही शुन्य है। ग्राम गणेशपुरा की सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबंदी में वर्णित आराजीयात् 227, 228, 229, 230, 231, 232 कुल किता 06 कुल रकबा 45–11 बिधा भूमि दर्ज होकर उक्त जमाबंदी में 1/2 हिस्सा वादी संख्या 01 से लगायत 04 के पिता मांगीलाल, 05 से लगायत 06 के पिता एवं वादी संख्या 07 के पति चम्पालाल एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 एवं वादीगण संख्या 01 से लगायत 06 की दादी व 07 की सास एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 05, 06, की दादी व प्रतिवादी संख्या 03 की सास चांदी बाई बेवा मोहन के नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज थी। उक्त जमाबंदी में प्रत्येक खातेदार का पृथक पृथक हिस्सा दर्ज नही होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 ने वादीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से अपने हिस्से से अधिक हिस्सा बताकर हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 07 से 09 को कर दिया। जबकि विरासत के आधार पर जो नामान्तरकरण संख्या 61 फैसल हुआ एवं वादीगण द्वारा सजरा पेश किया है उसके अनुसार सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का संयुक्त रूप से कुलिया 1/8 हिस्सा बनता था, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 ने अपने 1/8 हिस्से के बजाय अपना 1/4 हिस्सा बताकर प्रतिवादी संख्या 07 से 09 को आराजी संख्या 227, 229, 232 में से 1/4 हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित कर वादीगण के हिस्से की भूमि भी विक्रय कर दी।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

यह कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय कर विकय पत्र निष्पादित करवाया है जबकि कोई भी खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नही कर सकता। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा तथ्यो को छुपाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक हिस्सा नहीं होने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ गलत तथ्य दर्शा कर वादीगण के हिस्से की भूमि का भी विकय पत्र निष्पादित कर दिया है जो कि कानुनन वादीगण के हक अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भतः ही एक शुन्य दस्तावेज है। यह कि ग्राम गणेशपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 के में वर्णित आराजी संख्या 227, 228, 229, 230, 231 एवं 232 वर्तमान में पृथक पृथक जमाबंदी में दर्ज हो गई है आराजी संख्या 232 वर्तमान में सम्वत् 2077 की जमाबंदी के में दर्ज है तथा आराजी संख्या 229 वर्तमान में सम्वत् 2077 की जमाबंदी में दर्ज है, आराजी संख्या 227 वर्तमान में सम्वत् 2077 की जमाबंदी में दर्ज है तथा आराजी संख्या 228, 230 व 231 सम्वत् 2077 की जमाबंदी में दर्ज है। जिनका वर्णन वादीगण द्वारा वादपत्र की कलम संख्या 01 से लगायत 03 में किया गया है। आराजी संख्या 228, 230 व 231 विरासत के आधार पर आगे से आगे चली आ रही है उक्त आराजी के मुल खातेदार द्वारा किसी भी व्यक्ति को विक्रय नहीं किया गया है जिससे उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा विरासत के आधार पर सही अंकित है। यह कि दिनांक 20.02.2004 को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 से 09 को जो आराजी संख्या 227, 229, 232 के दो विक्रय पत्र निष्पादित कराये थे, उक्त आराजी का कुलिया रकबा 31–11 बिघा में वास्तविक हिस्सा 1/8 हिस्सा था। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को रकबा 3–19 बिघा भूमि ही विक्रय करने का अधिकार था उसके बजाय उक्त प्रतिवादीगण ने अपने वास्तविक हिस्से से अधिक 1/4 हिस्सा अर्थात् 7–18 सात बिघा अठारह बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया। जिससे वादीगण के हिस्से की 3–19 बिघा भूमि प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 के नाम दर्ज हो गई। जबकि मौके पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 07 से 09 को रकबा 3–19 बिधा भूमि का ही दिया गया और वादीगण आज भी अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज है। जिससे उक्त भूमि की तत्कालिन अधिक हिस्से के विकय की जानकारी वादीगण को लम्बे समय तक नहीं हुई। वादीगण संख्या 01 से लगायत 06 की माता एवं 07 की सास चांदीबाई की मृत्यू के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज हुई तो जमाबंदी में वादीगण के हिस्से में कम भूमि दर्ज होने की जानकारी वादीगण को हुई, तत्पश्चात् वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को कहां कि आप द्वारा हमारे हिस्से की भूमियों का भी विकय प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 को कर दिया। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नही दिया, और टालमटोल जवाब देते रहे तथा प्रतिवादीगण संख्या 07 से लगायत 09 को वादीगण द्वारा उनके हिस्से की रकबा 3–19 बिघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम गलत तरिके से विकय पत्र के आधार पर करवा ली उसको पुनः वादीगण के नाम करवाने हेतु निवेदन किया। किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 07 से लगायत 09 ने वादीगण के हिस्से की

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रकबा 3–19 बिघा भूमि वापस वादीगण के नाम करवाने से मना कर दिया। यह कि अब प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 आये दिन वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है और वादीगण के हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 भी प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 से मिलीभगत कर वादीगण को नुकसान कारित करने की नियत से सहयोग कर रहे है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 227 रकबा 2.3310 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 07 का 1/8 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 08 का भी 1/8 हिस्सा दर्ज है तथा आराजी संख्या 229 रकबा 1.4650 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 07 का 25/362 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 08 का 25/362 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 09 का 81/724 हिस्सा दर्ज है तथा आराजी संख्या 232 रकबा 1.3112 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 09 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त तीनो आराजीयात् की जमाबंदी में वादीगण के हिस्से की भूमि में से 3–19 तीन बिघा उन्नीस बिस्वा यानि 0.6395 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ने प्रतिवादी संख्या 07 से 09 को विकय कर दी जो उनके हिस्से में वर्तमान् जमाबंदी में अधिक दर्ज है। यह कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा की आराजी संख्या 227 की चालु जमाबंदी सम्वत् 2077 में प्रतिवादी संख्या 07 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0–18 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि एवं प्रतिवादी 08 के 1/8 हिस्से में से 0–18 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि वादीगण पुनः प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी प्रकार ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा की आराजी संख्या 229 की चालु जमाबंदी सम्वत् 2077 में प्रतिवादी 07 25/362 हिस्से में से कुल व 08 का पृथक पृथक 25/362 रकबा 0–12–10 बिघा जमीन अर्थात् 0.1012 हेक्टेयर भूमि वादीगण पुनः प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 229 में प्रतिवादी संख्या 09 का 81/24 हिस्से में से 0–10 दस बिस्वा जमीन अर्थात् 0.0809 हेक्टेयर भूमि वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इसी प्रकार आराजी संख्या 232 में अंकित प्रतिवादी संख्या 09 के 1/4 हिस्से में से रकबा 1–00–2.5 बिघा भूमि अर्थात् 0.1629 हेक्टेयर भूमि वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कि सहखातेदार अम्बालाल पुत्र पृथ्वीराज फोत होने से उनके विधिक वारिसान् प्रतिवादी संख्या 09 से लगायत 11 को पक्षकार बनाया गया है, तथा सहखातेदार चुन्नीबाई पत्नि जवाहरमल के फोत हो जाने से उनके विधिक वारिसान् प्रतिवादी संख्या 15 से लगायत 19 को पक्षकार बनाया गया है, यह कि प्रतिवादी संख्या 10 से लगायत 21 संयुक्त खातेदार होने से तथा घोषणा का वाद होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है तथा प्रतिवादी संख्या 22 भूमिधारक होने से एवं घोषणा के बाद में आवश्यक पक्षकार होने की वजह से सम्भावित आपत्ति को मध्यनजर रखते हुऐ पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को कई मर्तबा उनके हिस्से से अधिक वादीगण के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 को गलत तरिके से विकय कररने के बारे में कहां गया और पुनः प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 से वादीगण के नाम उनके हिस्से की भूमि वादीगण के हिस्से अनुसार अन्तरित करवाने हेतु कहां गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 07 से लगायत 09 ने वादीगण के हिस्से की भूमि पुनः वादी के नाम अंकित कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ने भी वादीगण को कहां कि हम आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे आपको जो कार्यवाही करनी है कर लेना तथा प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 06 भी प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 के पारिवारिक सदस्य है उन्होने भी उक्त प्रतिवादीगण का सहयोग किया और प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 09 को वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने हेतु उकसा रहे है और प्रतिवादीगण संख्या 07 से लगायत 09 ग्राम गणेशपुरा की आराजी संख्या 227,229,232 में वादीगण के हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण के हिस्से की भूमि जो गलत तरिके से अपने नाम पर अन्तरित करवा ली उसको अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने पर आमादा है तथा अंतिम मर्तबा आज से एक माह पूर्व भी उक्त प्रतिवादीगण से वादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण के नाम पर करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु मना कर दिया तथा भूमि को अन्य को अन्तरित करने एवं हम वादीगण के हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है जिससे वादीगण के वाद का हेतुक प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 09 को दिनांक 20.02.2004 को अवैध तरिके से विकय पत्र निष्पादित किये तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त भूमियां ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा, की आराजी संख्या 227 की चालु जमाबंदी सम्वत् 2077 में प्रतिवादी संख्या 07 सात के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0–18 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि घटाई जाकर 0–09 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 01 से लगायत 04 के नाम एवं 0–09 बिस्वा भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से घोषित फरमाई जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। एवं प्रतिवादी संख्या 08 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0–18 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि घटाई जाकर 0–09 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 01 से लगायत 04 के नाम एवं 0–09 नो बिस्वा भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से घोषित फरमाई जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। तथा इसी अनुसार आराजी संख्या 229 की चालु जमाबंदी सम्वत् 2077 में प्रतिवादी संख्या 07 का पृथक 25/362 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्से में से 0–06–05 बिस्वा भूमि घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम तीन बिस्वा ढाई

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बिस्वान्सी भूमि एवं तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से घोषित फरमाई जावें, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। तथा इसी अनुसार आराजी संख्या 229 की चालु जमाबंदी सम्वत् 2077 में प्रतिवादी संख्या 08 का 25/362 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्से में से 0–06–05 बिस्वा भूमि घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से घोषित फरमाई जावें, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। तथा इसी अनुसार आराजी संख्या 229 में प्रतिवादी संख्या 09 का 81/724 हिस्से में से 0–10 बिस्वा भूमि घटाई जाकर 0–05 बिस्वा भूमि वादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम एवं 0–05 पांच बिस्वा भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप घोषित फरमाई जावे। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। इसी प्रकार आराजी संख्या 232 में अंकित प्रतिवादी संख्या 09 के 1/4 हिस्से में से 1–00–05 बिघा जमीन घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के हिस्से में दस बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं वादी संख्या 05 से लगायत 07 के हिस्से में दस बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि संयुक्त रूप से घोषित फरमाई जावें एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। (ब) यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् में वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 09 किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, दखलन्दाजी कारित नहीं करे न ही अपने नौकर चाकर एजेण्ट इत्यादित करावे तथा दौराने वाद उक्त भूमियों को प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य को अन्तरित किये जाने की अवस्था में ऐसा अन्तरण वादीगण के मुकाबले शुन्य माना जायें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, से 21 बावजूद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। तथा प्रतिवादी संख्या 23 भूमिधारक एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्व किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही गई है, जिससे जवाब की आवश्यकता नही रही।

वादीगण ने अपने वाद के सर्मथन में गवाह पी0डब्ल्यू 01 देवीलाल पिता मांगीलाल जाट का शपथपत्र प्रस्तुत किया। दस्तावेज राजस्व ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा, की जमाबंदी संवत 2077 की प्रतियां आराजी संख्या 227 प्रर्दश 01 व आराजी संख्या 229 प्रर्दश 02 तथा जमाबंदी संवत 2057–60 की आराजी संख्या 232 प्रर्दश 03 तथा जमाबंदी संवत 2057–60 की आराजी संख्या 227 से 232 प्रर्दश 04 है। तथा जमाबंदी संवत 2077 की आराजी संख्या 228, 230, 231, प्रर्दश 05 है। वारिसान का प्रमाण पत्र प्रर्दश 06 है। जमाबंदी संवत 2041–44 की आराजी संख्या 227 से 232, प्रर्दश 07 है नामान्तकरण संख्या 61 की प्रति प्रर्दश 08, है, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 09 के पक्ष किये गये विक्रय पत्र की प्रति प्रर्दश 10 है। आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की गयी।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

उपरोक्तानुसार अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा, की आराजी संख्या 227 की जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 07 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0–18 अठारह बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि घटाई जाकर 0–09 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 01 से 04 के नाम एवं 0–09 बिस्वा भूमि वादी संख्या 05 से 07 के नाम संयुक्त रूप से व आराजी संख्या 228 में प्रतिवादी संख्या 08 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0–18 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि घटाई जाकर 0–09 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 01 से 04 के नाम एवं 0–09 बिस्वा भूमि वादी संख्या 05 से 07 के नाम संयुक्त रूप से आराजी संख्या 229 की जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 07 का पृथक 25/362 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्से में से 0–06–05 बिस्वा भूमि घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से इसी अनुसार आराजी संख्या 229 की जमाबंदी सम्वत् 2077 में प्रतिवादी संख्या 08 का 25/362 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्से में से 0–06–05 बिस्वा भूमि घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से इसी प्रकार आराजी संख्या 232 में अंकित प्रतिवादी संख्या 09 के 1/4 हिस्से में से 1–00–05 बिघा जमीन घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के हिस्से में दस बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं वादी संख्या 05 से लगायत 07 के हिस्से में दस बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि संयुक्त रूप से घोषित फरमाई जावें एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें । खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतिंम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद**

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्या**– 160 / 2023
**किस्म** :– **वाद पत्र**
**दायर दिनांक : 08.11.2023**
**निर्णय दिनांक** : 27.11.2025

## अनवान

**वादीपक्ष :–**

1. देवीलाल पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. जसराज पिता मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. नोसर उर्फ सोसर पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
4. गहरी पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. सुन्दर पुत्री चम्पालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. मीना पुत्री चम्पालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. बदामी पत्नि चम्पालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

## बनाम

**प्रतिवादीपक्ष :–**

1. बद्रीलाल पिता रतनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. हंसराज पिता रतनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. मताबी पत्नि रतनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. कमला पुत्री रतनलाल पत्नि हीरालाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी कुण्डियातहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. नर्वदा पुत्री रतनलाल पत्नि बद्रीलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी बाघपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
6. पारस पुत्री रतनलाल पत्नि घीसूलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी पॉटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. मांगीदेवी पत्नि भैरूलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. सन्यादेवी पत्नि रामचन्द्र जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. मांगीदेवी पत्नि अम्बालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. प्रकाश पिता अम्बालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
11. मुकेश पिता अम्बालाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

12. अर्जुन उर्फ भगवानलाल पिता गणेश जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
13. सीतादेवी पुत्री गणेश पत्नि देवीलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी रतनपुरा (रोडा का खेडा) ग्राम पंचायत सालेरा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
14. नोसर पत्नि गणेशलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
15. प्रेमबाई पुत्री जवाहरमल पत्नि राजमल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ
16. भीमराज पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझाबास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
17 मदनलाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
18. रामेश्वर लाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
19. हीरालाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
20. भैरूलाल पिता किशनलाल जाति जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा
21. ऐजीबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि किशनलाल जाति जाट निवासी माझावास हाल निवासी उदलियास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
22. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

**वादी की ओर से:–** अधिवक्ता लादुलाल जाट
**प्रतिवादीगण की ओर से:–** अनुपस्थित

**मे इस आशय में दिनांक 26.02.202 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है, कि** वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का जुणदा, की आराजी संख्या 227 की जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 07 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0–18 अठारह बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि घटाई जाकर 0–09 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 01 से 04 के नाम एवं 0–09 बिस्वा भूमि वादी संख्या 05 से 07 के नाम संयुक्त रूप से व आराजी संख्या 228 में प्रतिवादी संख्या 08 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0–18 बिस्वा भूमि अर्थात् 0.1457 हेक्टेयर भूमि घटाई जाकर 0–09 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 01 से 04 के नाम एवं 0–09 बिस्वा भूमि वादी संख्या 05 से 07 के नाम संयुक्त रूप से आराजी संख्या 229 की जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 07 का पृथक 25/362 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्से में से 0–06–05 बिस्वा भूमि घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से इसी अनुसार आराजी संख्या 229 की

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जमाबंदी सम्वत् 2077 में प्रतिवादी संख्या 08 का 25/362 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्से में से 0–06–05 बिस्वा भूमि घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं तीन बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि वादी संख्या 05 से लगायत 07 के नाम संयुक्त रूप से इसी प्रकार आराजी संख्या 232 में अंकित प्रतिवादी संख्या 09 के 1/4 हिस्से में से 1–00–05 बिघा जमीन घटाई जाकर वादी संख्या 01 से लगायत 04 के हिस्से में दस बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि एवं वादी संख्या 05 से लगायत 07 के हिस्से में दस बिस्वा ढाई बिस्वान्सी भूमि संयुक्त रूप से घोषित फरमाई जावें एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावें। खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 27.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दूबाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा